न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 75/2018, (2018/00380)

लाडा देवी पत्नी श्री सेडमल आयु 60 वर्ष जाति अहीर निवासी ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – –वादी

बनाम

तहसीलदार , तहसील आमेर, जिला जयपुर।

– – –प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम
वाद इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय दिनांकः 13.11.2019

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है की वाके ग्राम मानपुरा माचेडी, पटवार हल्का मानपुरा माचेडी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मानपुरा मचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर में खाता संख्या 224 (नया) 191 (पुरानी) खसरा संख्या 2828 रकबा 0.3225 स्थित है। उक्त कृषि भूमि वर्णित चरण 1 में 32/44 हिस्से की काबिज काश्तकार पंजीकृत खातेदार वादी रही हैं तथा 12/44 हिस्से में चौथू छीतर प्रभात गोपी पुत्रान भूरा पंजीकृत खातेदार हैं तथा सम्पत्ति सम्पूर्ण का उपयोग उपभोग स्वतंत्र रूप से वादी करते चले आये है। प्रतिवादी द्वारा अपने राजस्व रिकॉर्ड में अवैध व गैरकानूनी ढंग से बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये व बिना वादी की सुनवाई किये वादी की उक्त कृषि भूमि वर्णित चरण 1 में से रास्ता रिकॉर्ड में गलत रूप से इन्द्राज कर दिया जबकि पुरवोतर राजस्व रिकॉर्ड कही कोई रास्ता दर्शित नहीं और न ही मौके पर कोई रास्ते का अस्तित्व रहा है। वादी ने कई बार प्रतिवादी के कार्यालय में जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी की सम्पत्ति में रास्ते के गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने बाबत निवेदन किया। किन्तु प्रतिवादी सं0 4 के कर्मी बार बार टालमटोल करते रहे है और गलत इन्द्राज को दुरूस्ती नहीं कर रहे है। जिसके पीछे प्रतिवादी के

कमियो का आशय गलत व अवैधानिक ढंग से अन्य रसूकदार खातेदारों को फायदा पहुंचाना है। और इसी वजह से प्रतिवादी की ओर से इन्द्राज दुरूस्ती बाबत कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

दिनांक 16.7.2018 को प्रतिवादी के कर्मचारियो के द्वारा वादी की सम्पत्ति में राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर गलत रास्ता निकालने के लिए नाप जोक कि जाने लगी जिस पर वादी ने मना किया तो उन्होने एलानियां रूप से कहा कि वे तो जबरन रास्ता निकालने कि कार्यवाही करेगे और दो तीन दिन में पक्का रोड बनवा देगे इसी आशय से दिनांक 20.7.2018 रोड कि और कुछ ट्रक रोडी के डलवाये गये है वादी ने इस संबंध में प्रतिवादी के कार्यालय में जाकर निवेदन किया इन्द्राज दुरूस्ती एवं रास्ते न निकालने बाबत कहा प्रतिवादी के कमियो ने इन्द्राज दुरूस्ती से कतई इंकार कर दिया और कहा कि वे किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करेगे। उनके पास प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव के कारण उपर से ऑर्डर है। माननीय न्यायालय द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में सम्पत्ति वर्णित चरण 1 में गलत ढंग से दर्शित रास्ते की इन्द्राज दुरूस्ती करवानी का अधिकारी है और इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने के अधिकारी है कि वे वादी के सम्पत्ति में से जबरन गलत इन्द्राज के आधार पर रास्ता न निकाले, रोड का निर्माण न करे, सम्पत्ति के उपयोग उपभोग कब्जेकाश्त में कोई बाधा ना डाले।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी मय खर्चे डिक्री किये जाकर इस आशय की आज्ञात्मक निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी राजस्व रिकॉर्ड में वादी की सम्पत्ति वर्णित चरण 1 में गलत ढंग से दर्शित रास्ते की इन्द्राज दुरूस्ती करें। राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर रास्ता न निकाले रोड का निर्माण न करे, सम्पत्ति के उपयोग उपभोग कब्जेकाश्त में कोई बाधा ना डाले।

वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी की गयी। अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व दिनांक 21.8.18 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार आमेर से रिपोर्ट मंगवायी गयी। जो पत्रांक/भू.अ./2019/1823 दिनांक 15.04.19 के द्वारा भिजवायी गयी व शामिल पत्रावली किया गया। रिपोर्ट यह है कि ग्राम मानपुरा माचेडी के ख0नं0 2828 रकबा 0.3225 है0 की खातेदारी चौथू, छीतर, प्रभात, गोपी पिता भूरा हि0 12/44 जाति ब्रा. लाडा देवी पत्नी सेडमल हि0 32/44 जाति अहीर के नाम दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के हाल ख0नं0 2828 के गत ख0नं0 949 है। मुताबिक जमाबंदी 2037 से 2040 के गत ख0नं0 949 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी

चौथू, छीतर, प्रभात, गोपी पिता भूरा जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकॉर्ड था। अपने प्रार्थना पत्र से अवगत कराया है कि राजस्व रिकॉर्ड अवैध व गैर कानूनी ढ़ग से बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये व बिना प्रार्थी के सुनवाई किये प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि में से रास्ता रिकॉर्ड में गलत रूप से इन्द्राज कर दिया गया जो उचित प्रतीत नहीं होता है। मानुपरा माचेडी का गत नक्शा सम्वत् 2022 व हाल नक्शा का मिलान करने पर दोनों नक्शे समान है। कोई भी परिवर्तन नहीं है। ख0नं0 2856 गै.मु. रास्ता जो मौके पर चालू है का गत व हाल नक्शे से मिलान करने पर गत ख0नं0 947, 948 व हाल ख0नं0 2857, 2858 में से होकर गुजरता है। प्रार्थना पत्र में अंकित ख0नं0 2828 मिसल भू प्रबंध विभाग के 0.44 है0 दर्ज रिकॉर्ड है। ख0नं0 2828 में से 0.1175 है0 किस्म गै.मु.सड़क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रा0 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम अवाप्त की गई है। अवाप्त करने के पश्चात् प्रार्थी की खातेदारी में 0.3225 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। ख0नं0 2828 की रकबा बरारी करने पर 0.3225 है0 बनता है। ख0नं0 2856 रकबा 0.0836 है0 किस्म गै.मु. रास्ता जिसकी खातेदारी जे.डी. ए. जयपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त ख0नं0 2856 हाल नक्शा शीट में भू.प्र.वि. द्वारा दर्ज किया गया है। राजस्व कर्मियों द्वारा कोई भी रास्ता दर्ज नहीं किया गया है। हाल व गत नक्शें को मिलान करने पर पाया गया कि आवेदक द्वारा ख0नं0 2828 में से होकर गलत रूप से रास्ता निकाले जाने बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि हाल ख0नं0 2828 व उसके गत ख0नं0 949 में होकर कोई रास्ता नहीं था व न ही वर्तमान में है। अतः वाद खारिज योग्य है।

वकील प्रार्थी ने जवाब आपत्ति विरूद्ध तथ्यात्मक रिपोर्ट द्वारा अप्रार्थी तहसीलदार आमेर बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील द्वारा जवाब आपत्ति विरूद्ध तथ्यात्मक रिपोर्ट के संबंध में तहसीलदार आमेर से पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई जो उनके पत्रांक भू.अ./19/5134 दिनांक 30.09.2019 के द्वारा भिजवाई गई। रिपोर्ट यह है कि प्रार्थियां का कथन है कि ख0नं0 2828 का गत ख0नं0 949 है जो कि याचिका का बताया गया है। जबकि उक्त ख0नं0 में प्रार्थिया का हि0 32/44 है था 12/44 अन्य दीगर व्यक्तियों का है। जिसकी जमाबंदी संलग्न है। पूर्व में कही भी ख0नं0 2828 में रास्ता होना दर्शित नहीं किया गया है। ख0नं0 2828 प्राथियां व अन्य दीगर व्यक्तियों की सहखातेदारी का है। इस बाबत प्रकरण में कोई विवाद नहीं होना बताया गया है ना ही मिलान क्षेत्रफल से संबंधित कोई विवाद होना बताया गया है। प्रार्थिया का यह कथन गलत है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त ख0नं0 में जबरन रास्ता निकाला जा रहा है।

समय–समय पर प्रमाणित प्रतिलिपियों से प्राप्त नक्शों में भिन्न–भिन्न स्थिति दर्शित की गई है। गलत है। पटवारी हल्का द्वारा जारी प्रमाणित प्रतिलिपि में जारी करने के बाद किसी के द्वारा कांट–छांट नहीं की गई है। नक्शा शीट में कोई कांट छांट नहीं है। जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न है। ख0नं0 2856, 2857 में होकर रास्ते की मौजूदगी बताई गई है। वहां मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं होना बताया गया है जो गलत है। गत नक्शा शीट व हाल नक्शा शीट का मिलान करने पर रास्ता ख0नं0 2856 है व गत ख0नं0 947 व 948 में से होकर दर्शाया गया है न की गत ख0नं0 949 में से होकर है। गत ख0नं0 949 मि. जिसका वर्तमान ख0नं0 2828 है जो प्रार्थियां की खातेदारी में है। गत ख0नं0 948 जिसका वर्तमान ख0नं0 2857 है जिसकी खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड गोरा पत्नी मुरली जाति राव के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। जिसका एकल उपयोग उपभोग प्रार्थियां करती आ रही है। ख0नं0 2856 किस्म गै0मु0 रास्ता जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। हाल ख0नं0 2828 व 2857 में से राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त होकर राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम नये ख0नं0 2828/1 रकबा 0.1175 है0, 2857/1 रकबा 0.1116 है0 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राष्ट्रीय राजमार्ग अवाप्त की गई भूमि का कोई विवाद नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में भी अवाप्त शुदा भूमि को कम करने के बाद ख0नं0 2828 का रकबा 0.3250 है0 दर्ज है। जबकि उक्त ख0नं0 2828 का रकबा बरारी करने पर ख0नं0 2828 का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दज रकबे के बराबर है।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस दिनांक 06.11.2019 को सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार रिपोर्ट विवेचन के आधार पर विवादित भूमि ख0नं0 2828 व गत ख0पं0 949 में होकर कोई रास्ता नहीं था न ही वर्तमान में है। ख0नं0 2828 का रकबा बरारी करने पर ख0नं0 2828 का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे के बराबर है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में कोई इन्द्राज दुरूस्त किया जाना उचित नहीं होने पर वादी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया।

आदेश आज **दिनांक 13.11.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2020.01.22 13:30:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: